3/यो0स०क०-22/2022 30

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2024-25)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर (भा०प्र०से०),
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -21.03.2025

विषयः- **मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्तर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के संचालन हेतु वितीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रांश मद में रू० 7600.00 (छियत्तर करोड रूपये) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5725 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, मृत्यु अनुदान योजनाओं, विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत वितीय वर्ष 2024-25 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के संचालन हेतु कुल रू० 152445.00 लाख (पंद्रह सौ चौबीस करोड पैतालीस लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 17 दिनांक 08.04.2024 एवं द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त कुल रू० 32255.00 लाख (तीन सौ बाईस करोड पचपन लाख रूपये) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 15 दिनांक 08.01.2025 द्वारा प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में तृतीय अनुपूरक से प्राप्त केन्द्रांश मद में रू० 7600.00 (छियत्तर करोड रूपये) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू. लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
केन्द्रांश					
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – सामान्य घटक	(51-2235031010201)	0201.31.06	80873.50	7600.00
कुल (छियत्तर करोड़ रू०)					**7600.00**

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के 214/वि० दिनांक 06.03.2024, 3576/वि० दिनांक 01.04.2024, 730/वि० दिनांक 09.12.2024, 206/वि० दिनांक 18.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-22/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 16/टि0 पर दिनांक 19.03.25 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

21/3/25

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-22/2022 30 /......................./दिनांक- 21.03.2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/25

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-22/2022 30 /......................./दिनांक- 21.03.2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/25

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-22/2022 30 /......................./दिनांक- 21.03.2025

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

21/3/25

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।